रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032022-234424
CG-DL-E-24032022-234424

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 2022/ चैत्र 3, 1944
No. 149] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2022/ CHAITRA 3, 1944

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

संशोधन

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2022

सं. एल–1/02/2022–केविविआ.–केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के साथ पठित धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का भुगतान) विनियम, 2012 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

(1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का भुगतान) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2022 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन

(क) मूल विनियम के विनियम 7 के खण्ड (1) के अधीन परन्तुक को निम्नानुसार किया जाएगाः

"परन्तु कि डीम्ड पारेषण अनुज्ञप्तिधारी सहित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारों के लेखा परिक्षित विवरण को प्रत्येक वर्ष की 15 जुलाई तक प्रस्तुत करेंगे जिसमें आयोग द्वारा निर्धारित वार्षिक पारेषण प्रभार और तदनुरूपी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिदेय अनुज्ञप्ति फीस के लेखा परीक्षित प्रमाणपत्र सहित पूर्व वित्तीय वर्ष के पारेषण सेवाओं से संबंधित राशि या प्रभार शामिल होंगे। इस प्रकार के ब्योरों को उपलब्ध करवाते समय, पारेषण सेवाओं से भिन्न सेवाओं के लिए प्राप्त अनुज्ञप्ति फीस और रकम या प्रभारों की प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त रकम शामिल नहीं की जाएगी। देय अंतर अनुज्ञप्ति फीस, यदि कोई है, प्रत्येक वर्ष की 15 जुलाई तक जमा करवाई जाएगी।"

3. मूल विनियम के विनियम 8 (क) को शामिल करना

(क) विनियम 8 (क) मूल विनियम के विनियम 8 के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"**8(क).** केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियम, 2020 के विनियम 40 के अधीन रजिस्टर्ड ओटीसी प्लेटफार्म प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल तक वार्षिक रजिस्ट्रेशन प्रभार के लिए दो लाख रुपये अदा करेगा।"

4. मूल विनियम के विनियम 12 का संशोधन

(क) मूल विनियम के विनियम 12 को निम्नानुसार किया जाएगा:

"12. फीस के भुगतान का ढंग

(1) इन विनियमों के अधीन विलंब भुगतान अधिभार सहित प्रतिदेय सभी फीस केवल नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अनुमत्त किसी अन्य साधन का प्रयोग करते हुए भुगतान द्वारा आयोग के ई–फाइलिंग पोर्टल के माध्यम स ही किया जाएगा।

(2) इन विनियमों के अनुसार फीस का भुगतान करने वाले व्यक्ति इस प्रकार के भुगतान करने के तीन दिनों के अंदर इन विनियमों के फार्म-I के अनुसार आयोग के ई–फाइलिंग पोर्टल पर प्रेषण के ब्योरे प्रस्तुत करेंगे।"

5. मूल विनियम के फार्म I में संशोधन

(क) मूल विनियम के **फार्म I** को निम्नानुसार किया जाएगा:

फार्म-I

विवरण	
1. याचिकाकर्ता / आवेदक का नाम	
2. याचिकाकर्ता / आवेदक का पता	
3. विषय वस्तु	
4. याचिका संख्या या आवेदन संख्या, यदि कोई है	
5. उत्पादन आस्तियों के ब्योरे (क) उत्पादन केन्द्र / यूनिट (ख) मेगावाट में क्षमता (ग) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (घ) वह अवधि जिसके लिए फीस अदा की गई (ङ) अदा की गई फीस की रकम (च) अधिभार, यदि कोई है	
6. पारेषण आस्तियों के ब्योरे (क) पारेषण लाइन और उपकेन्द्र (ख) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (ग) वह अवधि जिसके लिए फीस अदा की गई (घ) अदा की गई फीस की रकम (ङ) अधिभार, यदि कोई है	
7. निम्नलिखित के लिए टैरिफ के अंगीकरण हेतु अदा की गई फीस (क) उत्पादन आस्ति (ख) पारेषण आस्ति	
8. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन फीस (क) व्यापार अनुज्ञप्ति (ख) पारेषण अनुज्ञप्ति (ग) वह अवधि जिसके लिए भुगतान किया गया (घ) अदा की गई फीस की रकम	
9. विविध याचिका के लिए अदा की गई फीस	
10. संवादात्मक आवेदन के लिए अदा की गई फीस	
11. विनियामक अनुपालन याचिका के लिए अदा की गई फीस	
12. पुनरीक्षण आवेदन के लिए अदा की गई फीस	

13. अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति फीस (क) श्रेणी (ख) अवधि (ग) अदा की गई फीस की रकम (घ) अधिभार, यदि कोई है	
14. अंतरराज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति फीस (क) प्रत्याशित/वास्तविक पारेषण प्रभार (ख) अवधि (ग) पारेषण प्रभार की प्रतिशतता के रूप में संगणित फीस की रकम (घ) अधिभार, यदि कोई है	
15. पावर एक्सचेंज/ओटीसी प्लेटफार्म के लिए वार्षिक रजिस्ट्रेशन प्रभार (क) अवधि (ख) टर्नओवर की रकम (ग) अदा की गई फीस (घ) अधिभार, यदि कोई है	
16. प्रेषित फीस के ब्योरे (क) संव्यवहार आईडी, संदर्भ संख्या/भुगतान आईडी (ख) प्रेषण की तारीख (ग) प्रेषित रकम	
टिप्पणः यद्यपि क्र. सं. 1 से क्र. सं. 3 और क्र. 16 अनिवार्य हैं, शेष को यथा लागू भरा जाए।	
प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता के हस्ताक्षर **तारीख सहित**	

सुशांत कु. चटर्जी, प्रमुख (विनियामक मामले)

[विज्ञापन-III/4/असा./704/2021-22]

टिप्पण: 1. मूल विनियम को भारत के राजपत्र (असाधारण) संख्या 79 भाग III, खण्ड 4 में तारीख 30.3.2012 को प्रकाशित किए गए।

2. मूल विनियम 3 के प्रथम संशोधन को भारत के राजपत्र (असाधारण) संख्या 246, भाग III, खण्ड 4 में तारीख 22.6.2017 को प्रकाशित किए गए।

3. मूल विनियम के द्वितीय संशोधन को भारत के राजपत्र (असाधारण) संख्या 462, भाग III, खण्ड 4 में तारीख 13.04.2020 को प्रकाशित किए गए।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

AMENDMENT

New Delhi, the 17th March, 2022

No. L-1/02/2022-CERC.—In exercise of powers conferred under clause (g) of subsection (1) of Section 79 read with Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) (Third Amendment) Regulations, 2022.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 7 of the Principal Regulations

(a) The proviso under clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"Provided that the transmission licensee including the deemed transmission licensee shall furnish, by 15th July of each year, the audited statement of annual transmission charges for preceding financial year which shall include the annual transmission charges determined by the Commission and the amount or charges for transmission services of the preceding financial year along with the audited certificate of the licence fee payable during the corresponding financial year. While providing such details, the amount received as reimbursement of licence fees and amount or charges received for services other than transmission services shall not be included. The differential licence fee payable, if any, shall be deposited by 15th July of each year."

3. Insertion of Regulation 8(A)to the Principal Regulations

(a) Regulation 8(A) shall be added after Regulation 8 of the Principal Regulations as under:

"**8(A).** An OTC Platform registered under Regulation 40of the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2020 shall pay Rupees two lakhs towards annual registration charge by 30th April of each year."

4. Amendment to Regulation 12 of the Principal Regulations

(a) Regulation 12 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"12. Mode of payment of fees

(1) All fees payable under these regulations, including late payment surcharge, shall be paid only through the e-filing portal of the Commission, via payment gateway using net banking, debit card, credit card or any other means allowed.

(2) Persons making payment of fees in accordance with these regulations shall submit the details of remittance on the e-filing portal of the Commission asper **Form-I** to these regulations, within three days of making such payment."

5. Amendment in Form I of the Principal Regulations

(a) Form I of the Principal Regulations shall be substituted as under:

Form-I

Particulars	
1. Name of the Petitioner/Applicant	
2. Address of the Petitioner/Applicant	
3. Subject Matter	
4. Petition No., or Application No, if any	
5. Details of generation assets (a) Generating station/units (b) Capacity in MW (c) Date of commercial operation (d) Period for which fee paid (e) Amount of fee paid (f) Surcharge, if any	
6. Details of transmission assets (a) Transmission line and sub-stations (b) Date of commercial operation (c) Period for which fee paid (d) Amount of fee paid (e) Surcharge, if any	
7. Fee paid for Adoption of tariff for (a) Generation asset (b) Transmission asset	
8. Application fee for licence (a) Trading licence (b) Transmission licence (c) Period for which paid (d) Amount of fee paid	
9. Fees paid for Miscellaneous Petition	
10. Fees paid for Interlocutory Application	

11.Fees paid for Regulatory Compliance Petition	
12.Fees paid for Review Application	
13. Licence fees for inter-State Trading (a) Category (b) Period (c) Amount of fee paid (d) Surcharge, if any	
14. Licence fees for inter-State Transmission (a) Expected/Actual transmission charge (b) Period (c) Amount of fee calculated as a percentage of transmission charge. (d) Surcharge, if any	
15. Annual Registration Charge for Power Exchange/OTC Platform (a) Period (b) Amount of turnover (c) Fee paid (d) Surcharge, if any	
16. Details of fee remitted (a) Transaction id, Reference no./Payment id (b) Date of remittance (c) Amount remitted	
Note: *While Sl.No.1 to Sl. No.3 and Sl. No.16 are compulsory, the rest may be filled up as applicable*	
Signature of the authorized signatory **With date**	

SUSHANTA K. CHATTERJEE, Chief (Regulatory Affair)

[ADVT.-III/4/Exty./704/2021-22]

Note: 1. Principal Regulations were published on 30.3.2012 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No 79.

2. First amendment to the Principal Regulations 3 were published on 22.6.2017 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No 246.

3. Second amendment to the Principal Regulations were published on 13.04.2020 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (extraordinary) No. 462.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.03.24 22:12:14 +05'30'